FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

रामाराम वगैरह बनाम जोधाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० काश्त० 111, 128 RLRAct नं. 68/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/05/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। अतः पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/07/2020 को पेश हो।	
14/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस दिनांक 18/08/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:46:16 IS
Reason: SelfAttested

18/08/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए है अतः मिसल इतलवा होकर आगामी दिनांक 24/08/2020 को पेश हो।

24/08/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षी-गणों के खातेदारी खेत मेडा मेड आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के बिच जो पुरानी मेडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है, जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइश मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमाकराकर रहे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 525 दिनांकः– 31/08/2020

राजस्व आवेदन संख्या –68 / 2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री रामाराम पुत्र हरखाराम वगैरा 6 जाति जाट निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर		श्री जोधाराम पुत्र भूराराम वगैरा 17, निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा कोसरिया, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 292, 293, 535 / 293 रकबा 0.0566, 18.9549, 19.0439 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 31/08/2020

सहायक कलक्टर (SDO)

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 526-530

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री रामाराम पुत्र हरखाराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थीगण श्री जोधाराम पुत्र भूराराम वगैरा 17।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested